

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 41/2017 (2017/00120) वाद पत्र

1. शंकरलाल आत्मज नंगजीराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 2. मोहनलाल आत्मज हजारी तेली निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 3. सुरेश चन्द्र आत्मज उदयराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- वादीगण

बनाम

1. मदन आत्मज प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 2. गोपाललाल आत्मज शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 3. भगवानलाल आत्मज शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 4. लाडु पुत्री शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 5. कंचन पत्नि शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 6. भोली बेवा प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 7. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर बजिरिये शाखा प्रबन्धक ।
 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर की आराजी संख्या 1037/1 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1038/1 रकबा 0.26 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 शंकरलाल पिता नंगजीराम गुर्जर सा. थोरियाखेड़ा मोहनलाल पिता हजारी तेली सा. पालरा सुरेशचन्द्र पिता उदयराम गुर्जर सा. कोलीखेड़ा खाखरमाला खातेदार, आराजी न0 1037/2 रकबा 0.12 है0, आराजी न0 1038/2 रकबा 0.19 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 मदन पिता प्रताप, गोपाललाल, भगवानलाल पिता शंकर कंचन पत्नि शंकर, लाडु पुत्री शंकर, भोली बेवा प्रताप खाती सा. देह खातेदार के नाम बदस्तुर रहन जमाबन्दी अनुसार रखते हुए एवं आराजी संख्या 1039 रकबा 0.04 है0 गे0मु0 आचा सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 41/2017 (2017/00120) वाद पत्र

1. शंकरलाल आत्मज नंगजीराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 2. मोहनलाल आत्मज हजारी तेली निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 3. सुरेश चन्द्र आत्मज उदयराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- वादीगण**

बनाम

1. मदन आत्मज प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 2. गोपाललाल आत्मज शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 3. भगवानलाल आत्मज शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 4. लाडु पुत्री शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 5. कंचन पत्नि शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 6. भोली बेवा प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 7. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर बजिरिये शाखा प्रबन्धक ।
 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
- प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

उपस्थित

1.—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 14.03.2019 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1037 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1038 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1039 रकबा 0.04 है.गै.मु. चाह कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 169 पर स्थित है। जिसमे वादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का निहित है एवं रहन का इन्द्राज यथावत रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बौण्डस के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किये जाने एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 21.10.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन वादी अधिवक्ता को कराया गया जिस पर अपनी सहमति दी जाने पर जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही पाया जाने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर की आराजी संख्या 1037/1 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 1038/1 रकबा 0.26 है, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.31 है शंकरलाल पिता नंगजीराम गुर्जर सा. थोरियाखेड़ा मोहनलाल पिता हजारी तेली सा. पालरा सुरेशचन्द्र पिता उदयराम गुर्जर सा. कोलीखेड़ा खाखरमाला खातेदार आराजी न0 1037/2 रकबा 0.12 है, आराजी न0 1038/2 रकबा 0.19 है, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.31 है मदन पिता प्रताप, गोपाललाल, भगवानलाल पिता शंकर कंचन पत्नि शंकर, लाडु पुत्री शंकर, भोली बेवा प्रताप खाती सा. देह खातेदार के नाम बदस्तुर रहन जमाबन्दी अनुसार रखते हुए एवं आराजी संख्या 1039 रकबा 0.04 है 0 गे0मु0 आचा सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

